28/6/22 पत्रावली पेश हुई। कोई उप० नहीं।
वाद का मूल वाद अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जा चुका है
इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
की जाती है पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ति
दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद के साथ
सलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
कठूमर (अलवर) राज.